



2026:AHC:178650

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 29884 वर्ष 2026

सतीश सरोज

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदक की ओर से अधिवक्ता : मनोज कुमार यादव

विपक्षी पक्ष की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. श्री मनोज कुमार यादव, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा श्री मनोज कुमार सिंह, राज्य-प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना।

2. प्रस्तुत आवेदन अपराध संख्या 243 सन् 2026, भारतीय न्याय संहिता की धारा 191(2), 191(3), 115(2), 103(1), 352, 351(3), 3(5) के अंतर्गत, थाना केराकत, जनपद जौनपुर में पंजीकृत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचारण लंबित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यद्यपि प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक का नाम चार अन्य व्यक्तियों के साथ अंकित है, किंतु सभी अभियुक्तों को केवल सामान्य भूमिका सौंपी गई है।

4. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि जब विवेचना के दौरान सूचनाकर्ता तथा अन्य साक्षियों के बयान दर्ज किए गए, तब उन्होंने बताया कि सह-अभियुक्त शुभम सरोज ने मृतक के सिर पर चोट पहुंचाई थी तथा शव-परीक्षण रिपोर्ट से भी यह पता चलता है कि मृतक के सिर पर केवल एक चोट आई थी और सिर में लगी चोट के कारण उसकी मृत्यु हुई।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



5. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि अतः इससे स्पष्ट होता है कि सह-अभियुक्त शुभम सरोज मुख्य अभियुक्त था।

6. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि संपूर्ण तथ्यों पर विस्तार से विचार करने के पश्चात भी सह-अभियुक्त किशन सरोज को आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 28043 वर्ष 2026 में पारित दिनांक 11.8.2026 के आदेश द्वारा जमानत पर रिहा किया गया है और आवेदक का मामला उसके समान है।

7. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वह वर्तमान मामले में दिनांक 15.6.2026 से जेल में निरुद्ध है।

8. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, किंतु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तथ्यों के संबंध में प्रस्तुत किए गए तर्कों का खंडन नहीं कर सके।

9. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा मामले के अभिलेख का परिशीलन किया।

10. यद्यपि प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक का नाम अन्य व्यक्तियों के साथ अंकित है, जिनकी कुल संख्या पांच थी, किंतु प्रथम सूचना रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि सभी अभियुक्तों को केवल सामान्य भूमिका सौंपी गई है।

11. आगे, प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के बयानों से यह स्पष्ट होता है कि उनके अनुसार सह-अभियुक्त शुभम सरोज मुख्य अभियुक्त था, जिसने मृतक के सिर पर चोट पहुंचाकर उसकी हत्या की तथा शव-परीक्षण रिपोर्ट से भी यह पता चलता है कि मृतक के सिर पर एक ही चोट आई थी और इसी चोट के कारण उसकी मृत्यु हुई।

12. आगे, यह भी स्पष्ट होता है कि सह-अभियुक्त किशन सरोज को इस न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा किया जा चुका है और आवेदक का मामला उसके समान है।

13. आगे, आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वह वर्तमान मामले में पिछले दो माह से अधिक समय से जेल में निरुद्ध है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



14. अतः, ऊपर उल्लिखित मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी दृष्टि में आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।

15. तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

16. आवेदक- सतीश सरोज को उपरोक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान न की गई हो।

(ii) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

(iii) आवेदक किसी आपराधिक अथवा असामाजिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।

17. उपर्युक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में अभियोजन को इस न्यायालय के समक्ष आवेदक की जमानत निरस्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

18. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निस्तारण के प्रयोजन से पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

24 अगस्त, 2026

अंकिता

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



Translated Judgment. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।